[illegible]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्या[illegible]

[illegible]

[illegible] **प्रश्न** [illegible] 4473

19 [illegible], 2019 को पूछे जाने वाले **प्रश्न** का उत्तर

[illegible]

4473. **श्री** [illegible]

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** [illegible]

([illegible]) क्या अधिक से अधिक संख्या म महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए देश म, [illegible] रू[illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], दरभंगा आदि म चल रही आशा कायकताओं [illegible] प्र[illegible] के लिए कोई उपाय किए गए ह;

([illegible]) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; [illegible]

([illegible]) [illegible], [illegible]?

[illegible]

स[illegible]स्थ्य और परिवार कल्या[illegible] (श्री [illegible])

([illegible]) [illegible]([illegible]): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, आशाकर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के रूप म लिया गया है और ये काय / क्रियाकलाप आधारित प्रोत्साहन राशि [illegible] क्रियाकलापों को सूची, जिनके लिए आशाओं को प्रोत्साहन प्र[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible] प्रो[illegible] राशियों को समय-[illegible] समीक्षा को जाती है। तदनुसार, भारत सरकार ने हाल ही म राष्ट्री[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] आशाओं के लिए नियमित और आवर्ती प्रोत्साहन राशि [illegible]

□□□ □□ □ों□□□□ □□□ि □□ □□□ □□□□□□□□□□ □न्□ □□ □□□□ 2000/- रुपये प्रति माह प्राप्त □ों□□□□□□□□□□□□, सरकार ने आशाकर्मी सुविधा प्रदाताओं के लिए पयवेक्षणीय दौरा शुल्क □□ 250/- रु□□ प्र□□ □□□□□□□□□□ 300/- रुपये प्रति दौरा करने का अनुमा□□ □□ ि□□□ □□

□□□□□□□□□, □□त्र □□□कर्मियों □□ □□□ □□□□□ों □□ □□म्न□□□□□ □□ अंतगत दज करके □□□□ □□□□, दुघटना बीमा और पशन का लाभ दिया जाता है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (भारत सरकार द्वारा 330 रुपये का प्रीमियम)
- प्र□□□□त्री □□क्ष□ □□□□ योजना (भारत सरकार द्वारा 12 रुपये का प्रीमियम)
- प्र□□□□त्री श्र□ □□□□ □□□ □□ (□□□□ □□□□□ द्व□□□ प्रि□□□□□ □□ 50% □□ □□□□ि□□ों द्व□□□ 50% □□□□□□)
- सरकार ने आशार्कामियों के लिए □□□□□□□□□□ □□ स□□कृति प्रदान करने के रूप म 20,000/- □□ □□□ □□स□□□ □□ □□ प्रशंसा पत्र देने का भी अनुमोदन किया □,□□ □□ से कम दस वर्षों तक आशाकर्मी के रूप म काय करने के उपरांत कायक्रम को छोड़ते ह□
- ज्ञ□□ □□ □□□□ □्ल□□क्न द्वारा आशार्कामियों को क्षमताओं, व□□□□□□□ □□श□□□□□□□ □ □□□त□री करने के लिए वष 2014 म आशाकर्मी प्रमाणन कायक्रम शुरू किया गया है, □□□□ □□□□□ 23 □□ज□ों □□ □□ □□ □□ज□ क्षेत्र म क्रियान्वित किया जा रहा है।
- □□ष्ट्र□□ □□□ □□द्य□□□ □स□□□ (□□□□□□□□) द्व□□□ 35 □□ज□ प्रशिक्षण स्थ□ों □□ 95 जिला प्रशिक्षण स्थ□ों को प्रत्या□□□ ि□□□ □□□ □□
- □□□□□□□□ □179 □□ज□ प्रशिक्षकों और 478 जिला प्रशिक्षकों को प्रमाण-पत्र दिया है।
- लगभग 6212 आशार्कामियों और आशा सहायकों को प्रमाणित किया गया है।

□□□□□ □□ज□ द्व□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□ि □□ज□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□न्□ कायक्रमों के तहत 52 प्र□□□ □□□□□ □□ष□□दन आधारित प्रोत्सा□□ □□ □□ □□□ग□ □□□□□ □□ तहत क्रियाकलाप हेतु एक प्रोत्सा□□ प्र□प□ □□ □□□□□ □□ज□ □□□□ि□□ों □□ □□□ □□ □□□□□

□□श्वे□ □□□□□□□□□ □□म्□लिखित पहल कर रहे ह। इनम सीतामढ़ी, □□□□□, □□फ□□□□,

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □:

- बिहार ने पीएफएमएस (सावजनिक वित्त प्र□□□ प्र□□□□) □□□□ □□□□□□□ □□ आशार्कामियों को भुगतान शुरू किया है। वतमान तिथि तक 99% □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □ □□ □□□□□□□□□ □□□□□म से आधार लिक भुगतान किया जा रहा है।
- भुगतान को सरल बनाने के लिए सभी चयनित आशार्कामियों को एक मानकोकृत दावा प्रारूप वितरित किया □□□ □□।
- बिहार सरकार ने आशाकर्मा को मृत्यु □□□□□ □से□□□ □ □□□□नजदीको आश्रित को 4,00,000 लाख रुपये प्रदान करने का निणय लिया है।

		□□□ग□□	
		□□- प्रो□त्□□हनों को अद्यतनसूची	
	क्रियाकलाप	राशि रुपए म/प्रति मामला	□□□□ □□ स्रो□□ □□ □□□□ □□ □□□□
I	□□□त□ स□□स्थ्य		
1.	□□□□□□ □□त□ □□□□		
□.	□□□□□ओं □ो प्र□□ □□□ □□□□□ □□□□शे□□ □□□□□□□ □□□	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 रु. शहरी क्षेत्रों के लिए 200 रु.	□□□त□ स□□स्थ्य- □□□□□□□□□-आरसीएच फ्लैक्सीपूल
□.	□स□□□ □ प्र□□ □□□□□□□□ □□□	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 रु. □□□□ क्षेत्रों □□□□□ 200 रु.	
2.	□□□ द्व□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ओं (15-49 वष के आयु वग को) को □त□□□ो □□□□□	□त□□□□□□□24 □□ां □□□□□□ □□□ द्व□□□ ि□□□□ □□□□□□□□□□ 200 रु.	□□□□□□□/□-□□□□□□□-□□□□□□ □□□□
II	□□□ स□□स्थ्य		
1 .	□□□□□ □□□□ □□ प्र□□ □श□□□ □च□□ □ो □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□[1] - □स□□□□ प्र□□ □□ □□□□□□□ □: □□□□(3□□,7□□, 14□□, 21□□,28□□□ □□□ 42□□ि□□) □□ □□ □ प्र□□ □□□□□□□□□□□ □□□□(1□□, 3□□, 7□□, 14□□, 21□□,28□□□□□42□□ि□□)	250 रु.	□□□ स□□स्थ्य-□□□□□□□-आरसीएच फ्लैक्सी□□
2.	□□□ □□□□□ □□□□ध□□ □□ छोटे बच्चे के स्वास्थ्य और □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□च्चे□□□□ □□ □□□□ □□□□- (□□□□□□ □□□□-3□□, 6□□, 9□□, 12□□□□□ 15□□□□□□□□) - (रु50 x 5 □□□□□) - प्र□□ □□□ □□ □□□क्र□ □□□□□ 235 □□□□ □□□□□□ □□ □□र्क्ष□ (एस्पिरेशनल) जिलों म लागू करने का प्रस्ताव □□	05 □□□ां □□□□□ □□□ 250 रु□□ प्रति बच्चा 50 रुपए प्रति दौरे के □□□□	
3.	□□□□□ □द्र □□□□□□□ □□ □श□□त बाहर आए बच्चों □□ □□□□ □□त्र □□□□□ (□□□□□□) प्र□□□ □न्द्र □□ □□□□ □□ बच्चों □□	150 रु□□ □□□□ □□ □□□□□□□ 125 □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □ □□	

[1] यह प्रोत्सा□□ □च□□□□□न□ □□□□□ 45 दिन पूरे होने पर ही दिया जाता है और इसम निम्न□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □न□ □□□□□□, □□□□□□ काड म वज़न-ि□□□□, □□□□□□, ओपीवी को प्रथम खुराक और डीपीटी का टीकाकरण तथा साथ ही एमसीपी काड म इनको अच्छी □□□ □□र्ट्री □□□ □□□ □ □□□□□ □□□□प्र□□ □□42 व दिन तक सुरक्षित हों।

	[illegible]		
4.	[illegible][2] [illegible]	[illegible] 1 [illegible] 50 रुपए प्रति तिमाही	
5.	5 [illegible] बच्चों को मृत्यु को सूचना देने [illegible]	50 रु.	
6.	प्रत्ये[illegible] (1-19 [illegible]) [illegible]	100/[illegible]	
7.	पांच वष से कम आयु के बच्चों [illegible] प्रोफाइलैक्टि[illegible] -1- [illegible]	पांच वष से कम आयु के 100 बच्चों के लिए प्रति ओआरएस पैकिट 1 रु.	
8.	[illegible]; अल्पपोषित बच्चों को स्क्रीनिग और उन्ह स्वास्थ्य कद्र भेजना; [illegible] बच्चों [illegible] परिवारों को आईवाईसीएफ [illegible] -2- [illegible]	[illegible] 80% परिवारों को पूरा करने के लिए प्रति आशा 100 रु.	
9.	[illegible] ([illegible]) कायक्रम- [illegible]	100रु./[illegible]	
III	[illegible]		
1.	1 [illegible]	100.00रु.	[illegible]
2.	एक वष को आयु के पश्चा[illegible] पूण प्रतिरक्षण के बाद दो वष [illegible] (प्र[illegible] द्वितीय वष को बीच प्राप्त [illegible]) [illegible]	75[3]	

[2] [illegible]

[3] 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है।

3.	पल्स पोलियो कायक्रम के □□□□ □□□□□ प्र□□□क्ष□ □□ □□□ □च्चों □□ □□□□ □□□□	100/f□□[4]	□□□□□□□ □ □□□□□□□
4.	5-6 वष को आयु म डीपीटी □स□□[5]	50 रु.	
IV	□f□□□□ □□□□□□		
1.	□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□श□□ □□□□	500रु.	□f□□□□ □□□□□□- □□□□□□- □□□□□□ फ□□क्े□□□□
2.	प्रथम बच्चे □□□न□ □□□श□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□श्वे□ □□□□	500रु.	
3.	दो बच्चों □□□□□ स□□□□ रू□ से बच्चों □ो □ख□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ल□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□[6]	1000रु.	
4.	ट्यू□क□□□□ □□□□□ □□□□□ओं □□ □□□□□ □□□, प्र□त□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□	□च□ □न□ □□ □□□□11 □□ज□ों □ 200 रु.[2] (□त□□ प्र□□, □□□□□, □ध□ प्र□□, □□□स□□□, □त□□□□□, □□□□□, □□□□□, □त□□□□ण□, □□□, □f□□□□□, □□□□□) 146 एमपीवी जिलों म 300 रु. □□ □□ज□ों □ 150 रु.	
5.	□□क□□□□/□□□□□□ □□□□□ व□क्तियों को परामश □□ प्र□त□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□	□च□ □न□ □□ □□□□11 □□ज□ों □ 300 रु. (□त□□ प्र□□, □□□□□, □ध□ प्र□□, □□□स□□□, □त□□□□□, □□□□□, □□□□□, □त□□□□ण□, □□□, □f□□□□□, □□□□□) □□ 146 □□□□□□ □□□ों □ 400 रु. □□ □□ □□ज□ों □ 200 रु.	
6.	प्र□□ □श्व□□ □□□□□ □□□□□	□च□ □न□ □□ □□□□11 □□ज□ों □ 300 रु. (□त□□ प्र□□, □□□□□, □ध□ प्र□□, □□□स□□□, □त□□□□□, □□□□□, □□□□□, □त□□□□ण□, □□□, □f□□□□□, □□□□□) □□ 146 □□□□□□ □□□ों □ 400 रु. □	

[4] 75 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

[5] □□□□□, □त्त□□□□, □□□□□, □ध□ प्र□□, □□□□□, □□□स□□□, उत्तर प्रदेश, □त्त□□□□, □रु□□□□ प्र□□, □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□, □□□□□□, सिक्किम, □त्रे□□, □□□□□, □f□□□□□ □□□□□, महाराष्ट्र, □ध्र प्र□□, □□□□□□, □श्वि□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□

[6] □□□□□, □त्त□□□□, □□□□□, □ध□ प्र□□, □□□□□, □□□स□□□, □त्त प्र□□, □त्त□□□□, □रु□□□□ प्र□□, □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□□□, □□□□□□, सिक्किम, □त्रे□□, □□□□□, □f□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

7.	आशाओं द्वारा होम डीलीवरी के रूप म गर्भनिरोधकों का [illegible]	3 [illegible] 1 रु[illegible], [illegible] 1 रु[illegible], [illegible] 2 रु[illegible]	
8.	प्रसव के पश्चा[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] द्र [illegible]	प्र[illegible] 150 रु[illegible]	
9.	गर्भपात के पश्चा[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] द्र [illegible]	प्र[illegible] 150 रु[illegible]	
[illegible] 7[illegible] 7[illegible] 146[illegible] (उ[illegible]र प्रदेश म 57,[illegible] 37,[illegible] 14,[illegible] 9,[illegible] 2, मध्य प्रदेश म 25 और असम म 2)			
10.	[illegible]- (अंतारा कायक्रम) और एक गैर-[illegible] (ग[illegible])- [illegible] प्र[illegible]	प्रति खुराक 100 रु.	[illegible] - [illegible]- प[illegible]
11.	मिशन परिवार विकास कपेन के [illegible] सवक्षण पर आशाओं का [illegible]	150/[illegible]/[illegible]	
12.	[illegible] (प्रारंभिक चरण म आशा को प्र[illegible])	100/[illegible]/[illegible]	
13.	[illegible]	100/ [illegible]	
14.	प्र[illegible] पहले ईसी सवक्षण का अद्यतन- [illegible] अद्यतन प्रोत्साहन पहले ही [illegible] प्र[illegible]	150 रु./[illegible]/[illegible]	
V	[illegible] स[illegible]स्थ्य		
1.	किशोरियों को सैनेटरी नैपकिन [illegible]	[illegible]: [illegible] 1 [illegible] 1 रु[illegible]	[illegible]स्टू[illegible] स[illegible]-[illegible]-एनएचएम फ्लैक्सी[illegible]
2.	[illegible]स्टू[illegible]	50/[illegible]	[illegible]

3.	□□□□□□ □□□□□□ □ो □□□□□□ के लिए प्रोत्सा□□ (□□□□□□ एजूकेटर को चयन प्रक्रिया को □□□ □□□□□)	प्र□□ □□□□ □□□□□ 100 रु.	□□□□□□-□□□□□□ प□क□□□□
4.	ि□□□□ स□स्थ्य □□□□□ □□□ किशोरों को जुटाने हेतु प्रोत्सा□□	प्र□□ □□□□□ 200 रु.	
VI	रूटीन रीकरंट क्रियाकलापों हेतु प्रोत्सा□□		
1.	□□□□□□□□ □□ (□□□□□□ □□□/□□□□ स□स्थ्य □□ □□□□ ि□□□ं) □□ □□□ □□□□□□ व□क्ति□ं □□ □□□□□□□□	2000[7] रु.	□□□□□□- प□क□□□□
2.	□□□□□□□□□□/□□□□□ □ो □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ माग निदशन करना		
3.	ब□□ □□□□□□/5□-□□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□ □□□□		
4.	क) वष के प्रारंभ म परिवारों को □□□□ □□सि□□ □□ प्रत□□ 6 □□□ □ □□□□ □) □□□□□ □□□□□ं □□□□□□□ ि□□□□ □□□□-जैसे ग्राम स्वास्थ्य □□□स□□ □) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ि□□ □□ प्र□□□□क्षे□ ि□□ □□□□□□□□ बच्चों □ो □□□ □□□ □□□□ □□□□ □) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ि□□ ि□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ि□ं □ो □□□ □□□ □□□□ □□□□ □.) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ि□□ पात्र जोड़ों को सूची तैयार करना		
VII	पार्टिसिपेटरी लर्निग और एक्शन (पीएलए)- (10 □ि□□□ □□ज□ं □ □□□□□ □□□□□□□□□□+□ □□□□□ □हु□ □□स्र □-□□□□□, □□□□□, □त्त□□□□, □□□□□ण, मध्य प्रदेश , □□□□□, □□□□□, □□□स□□□, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश)		
1.	□□□□□ □□□ं □□ □□□□□-प्रतिमाह 2 बैठक- नोट: एक महीने म 10 बैठकों के □□□ प्र□□ □□□□ 100 रु. □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ प्रोत्साहन लागू है।	□□□□□□ 2 □□□ं □□□□□ प्र□□ □□□ प्र□□ □ □□ 100 रु.	
VIII	संशोधित राष्ट्री□ □□□□ □□□त्र□ □□□क्र□[8]		
	□□□□□□□ प्र□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□ं प्र□□□		□□□□□□□□□□ □□□□□□□
1.	□□□□ □□□□□ं □ो श्रे□□ । (□□□□ □□□□ □□□□)□□□□□	□□□□□ □□□□□□ं □□□□□□ 42 संपर्कों (भटों) के लिए 1000 रु	

[7] 1000 □□□□□□ 2000 रु□□□□□ ि□□□ □□□ □□

[8] प्रारंभ म नए और पूव म उपचारित क्षय रोग मामलों म डॉट्स प्र□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ं 250 रुपये के प्रोत्सा□□ □□□□त्र □□आशार्कमियों के प्रोत्साह्न म क्षयरोग रोगियों को उपचार तथा औषध प्रतिरोध उपलब्ध □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ प्र□त□□□□ □□□□ 2500 □5000 रु□□□□□ □□ □□ □□

2.	□□□□ □□□□□□ों □ो श्रे□□-II (□□□□□ □ □□□□□ि□□ □□□□ □□□□□)	□□□□□ □□8 □□9 □□□□ों □□ □□□□□ 57 □□□ों, □□□□ इन्ट□□□ □□□□ □ 24-36 □न□क□□ □□□□□ □, □□□□□ 1500 रु.	
3.	ड्र□ □□□स्□□ □□□□ □□□□□ों □□ □□□□□ □□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ 5000रु. (□न□□□□ □□□ □□□□□ □ 2000रु. □□ □□□□□ □□□□ के अंत म 3000रु. ि□□ □□□□□ □□□□□)	
4.	□□□ □□ □ि□ग□ व□क्ति □□ निदान चिकित्सा □□□□□□□/प्र□□□□□□□ द्व□□□ □□□□ □□□□ □रू□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□[9]	100 रु.	
IX	□□ष्ट्र□□ □□□ □न□लन कायक्रम[10]		
1.	□□□ □□□□□ो-□□□□□□ □□□□ों □ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□शे□□ □□□□ – 33 राज्यों (गोवा, □□□□□ □□ □□च्चे□ □□ □□□□□) □□ □□□	250रु. (□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□) + 400 रु. (□□□□□ □ो □□□□ □□ □□□□□□ □□□)	
2.	□□□ □□□□ल□-□□□□□□ □□□□ों म पूण उपचार के लिए रेफरल □□ □□□□□□ □□□शे□□ □□□□	250रु. (□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□) + 600रु. (□□□□□ □ो □□□□ □□ □□□□□□ □□□)	□□□□□□□ □□□□□□□
X	□□ष्ट्र□ □क□□ □□□ □□□ □□□□त्र□ □□□क्र□		
□)	□□ि□□□[11]		
1.	ब□□ स□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□धु□□ □□□□	15/स□□□□□□ □□□	□□ि□□□ □□□□त्र□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
2.	□□□□□□ □□□□ि□□ □□□□ □□□□ों □□□□□ □□ □□□□□ प्र□□□ □□□□	75रु. प्र□□ □□□□□□□ □□□□□	
3.	ड्र□ □□□□□ □□□□□□□, ब□□		

[9] आशार्कामियों/शहरी आशार्कामियों / एडब्ल्यू□ब्ल□/□□ग□ प्रैक्टिशनरों इत्यादि सहित सभी परिचया प्रदाताओं के लिए अधिसूचना प्रोत्साहन के रूप म 100 रुपये का प्र□□□□□, यदि रेफर किए गए संदेहात्मक मरीज को मेडिकल ऑफिसर/प्रयोगशाला द्वारा क्षयरोग के मरीज के रूप म पहचान को जाती है।

[10] □□□□□ को सुविधा उपलब्ध कराने तथा पॉसी वेसिलरी मामलों म उपचार पूण करने के लिए अनुवर्ता उपचार करने के लिए एनएलईपी के तहत पहले 300 रु. को प्रो□□□□□ □□□□ □□, जिसे अब संशोधित कर 250 रुपये कर दिया गया था, □□□ □□ 400 रु□□□□।

□□□□□ को सुविधा उपलब्ध □□□□□□□ □ल□□ □□□□□□ □□□□ों □□□□□ □□□□ि□ों □□ □□□□500 रुपये का प्रोत्सा□□ ि□□□ □□□□ □□, □□□□ □□ □□□□□ □□□□250 □□ 600 रु. □□ ि□□□ □□।

[11] ड्र□ □□□□□ □□□□□□□, ब□□ स□□इड द्वारा पहचान किए गए स□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 5 रुपये को प्रोत्सा□□ □□□□ □□, जिसम संशोधन कर इसे 15 रुपये कर दिया □□□ □□आरडीटी पॉजिटिव पीएफ मामलों म उपचार □□□□ब □□□□□□□□□□20 रुपये को प्रोत्सा□□ □□□□ □□, जिसे संशोधित कर 75 रुपये कर दिया □□□ □□□□□ि□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ब □□□□□□□□□ प्रो□□□□ □□□□ □□□□50 रु□□□□ □□□ □□□□, मलेरिया के मामलों को रेफर करने तथा संपूण उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्सा□□ □□□□ प्र□□ □□□□□ 200 रु. □□, जिसम संशोधन करके इसे अब 300 रु. कर दिया गया है।

	स[illegible]इड द्वारा पोजीटिव पीएफ [illegible] प्र[illegible]		
4.	[illegible]	300रु. (उनको अद्यतन सूची म [illegible]ों)	
[illegible])	[illegible]		
1.	[illegible] वाले जिलों के सभी क्षेत्रों म [illegible]	200 रु.	[illegible]टिक फिलैरियासिस के नियंत्रण हेतु एनवीबीडीसीपी [illegible]
2.	[illegible] मामलों के लिए वार्षिकरूप से [illegible][12]	50 [illegible] 250 [illegible] तीन दिन के लिए प्रतिदिन 200 रु.	
[illegible])	[illegible] सिड्रोम/जापानी एनसेफलाईटिस		
1.	[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]	प्र[illegible] 300 रु.	[illegible]
[illegible])	[illegible]		
1	घर म स्प्रे [illegible] समुदाय को मनाने के लिए स्प्रे [illegible][13]	[illegible]र रेजीडुअल स्प्रे [illegible] प्रति राऊंड 100 रु. अथात दो राऊंडों के लिए कुल 200 रु.	[illegible]
2	संदिग्ध मामले को भेजने और [illegible]	प्र[illegible] 500 रु.	[illegible]
[illegible].)	[illegible]		
1	12 [illegible] राज्यों (आंध्र प्रदेश, [illegible]) [illegible] इसके स्रोत के ह्रास और आईईसी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन	200 रु. ([illegible] 05 [illegible] 200 घरों के लिए 1 रु./ घर) यह प्रो[illegible] 1000 रु. से अधिक नहीं होना [illegible]	[illegible]
[illegible])	[illegible]		
1	[illegible]	[illegible]50 [illegible]	[illegible]

[12] 50 [illegible] 250 व[illegible]क्तियों को कवर करनेक लिए अधिकतम तीन दिन के लिए 100 रु. [illegible] प्रो[illegible]हन राशिम संशोधन कर इसे प्रतिदिन 200 रुपये कर दिया गया है।

[13] [illegible] को सुनिश्चित करने के लिए आशाकार्मियों को भूमिका आईआरएस के लिए परिवार को सहमत करने को है।[illegible] चरणों के दौरान इनको भूमिका समुदाय के लोगों को घर के अंदर छिड़काव करने के लिए [illegible] 100 प्र[illegible] प्र[illegible], [illegible], झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रभावित जिलों म कोटनाशक छिड़कावके दो चरणों के लिए उसे कुल 200 रु[illegible] (100 रुपयेप्रति चरण) को प्रोत्सा[illegible]

	प्र[illegible]	लिए प्रतिमाह 25 रु.	
XI	व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) और सार्वभौमिक एनसीडी स्क्रीनिंग के तहत प्रोत्साहन		
1	[illegible]- [illegible] व्यक्ति [illegible] ग्र[illegible]- प्र[illegible] परिवार प्रतिपूर्ण फाम	5 रु./फाम/परिवार	[illegible]
2	प्रत्येक व्यक्ति के सीबीएसी फाम [illegible]- सभी व्यक्तियों को गणना [illegible] क्रि[illegible], 30 [illegible]>30 [illegible] आयु के सभी व्यक्तियों के लिए [illegible]	एक बारगी प्रोत्साहन के रूप म 10 रु./[illegible]/व्यक्ति	[illegible]
3	[illegible] प्र[illegible] [illegible]/[illegible]	50 रु./मामला/द्विवार्षिक	
4	[illegible]	1000 रु./[illegible]/प्र[illegible]/ (क्रि[illegible])	[illegible]
XII	[illegible]		
1	[illegible] प्र[illegible] प्रेरित करना	प्रति परिवार 75 रु.	[illegible]
2	[illegible] लिए परिवारों को प्रेरित करना	प्र[illegible] 75 रु.	[illegible]

******